26/3/25 पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक पक्षकार एवं प्रार्थिया पक्ष को बार-बार आवाज दी लगाई गई। लेकिन न्यायालय समक्ष कोई हाजिर नहीं आया। मूल वाद अंतर्गत धारा 9 व अंतर्गत धारा 12 दाखिल किया गया है। ऐसी स्थिति में अंतर्गत आदेश पक्ष का धारा 212 RT Act का आदेश पारित करने का कोई औचित्य नहीं है। अतः आदेश पत्र अंतर्गत धारा 212 RT Act प्रार्थिया अंतर्गत धारा 9 व अंतर्गत धारा 12 में दाखिल किया गया है। पत्रावली में कोई अन्य कार्यवाही शेष नहीं है। निर्णय आज दिनांक 26/3/2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (मु.) सीकर

Scanned with CamScanner